

उपस्थित

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग- वकील वादी
2. श्री भीम खिलेरी- वकील प्रतिवादीगण



निर्णय दिनांक ०५/१०/२१

वादीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र सिहाग प्रतिवादीगण की ओर से श्री भीम खिलेरी अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक ०५/१०/२१ को डॉ. अवि गर्ग आर.ए. एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष पत्रावली पेश होने पर वाद वादी अन्तिम डिकी करते हुए घोषणा की जाती है कि वादी राजेन्द्र को वाके चक 23 एमएम के की खाता सं. 8/8 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम व प्रतिवादीगण सं. 7 ता 13 व 20, 21 के पिता व प्रतिवादी सं. 14 के ससुर के नाम संयुक्त दर्ज 4.807 है0 नहरी भूमि में से 2.377 है0 नहरी भूमि का व प्रतिवादी सं. 1 रमेशकुमार को वाके चक 23 एमएम के खाता सं. 8/8 में प्रतिवादी व वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 के नाम व प्रतिवादी सं. 7 ता 13, 20, 21 के पिता व प्रतिवादी सं. 14 के ससुर के नाम संयुक्त खाता में दर्ज 4.807 है0 नहरी भूमि में से 2.376 है0 नहरी भूमि का व वादी व प्रतिवादी सं. 1 को वाके चक 23 एमएम के खाता सं. 8/8 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम व प्रतिवादी सं.

3/11
अध्यक्ष कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

मिलान किया

2


प्रमाणित प्रतिलिपि


सिद्ध
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

98/209 मु०नं० 34 कि०नं० 17,18,23,24/1.012 है०, प०नं० 98/210 मु०नं० 35 कि०नं० 3,4,5/.235 प्रत्येक दक्षिणी दिशा, 6, 7 की .506, 8,9,10/.018 प्रत्येक दक्षिणी दिशा, 14,15,16,17,24,25/1.518 है० प०नं० 99/210 मु०नं० 36 कि०नं० 11,19,20,21,22/1.265 है० कुल 5.060 है०

आज यह अन्तिम पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से दिनांक ०५/१०/२१ को जारी की गई।




(डॉ. अवि गर्ग)



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़


पञ्चास गाम्बर्गो दे तंग अक्टोब २०२१
केवल न्याय ग्राम पंचायत व नवाला

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

ब्रमाणित प्रतिलिपि

मिलान किया


उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़